भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1560

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खदानों में दुर्घटनाएं

1560. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला खदानों में हुई दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या का कोई आंकड़ा है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कोयला खदानों के संरक्षण एवं सुरक्षा के अंतर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खनन स्थलों पर ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला खदानों में राज्यवार दुर्घटनाओं का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	घातक			गंभीर	
	दुर्घटनाओं	मृत्यु	गंभीर रूप से घायल	दुर्घटनाओं	गंभीर रूप से घायल
छत्तीसगढ़	4	4	0	11	12
गुजरात	0	0	0	2	2
झारखंड	9	10	0	13	15
मध्य प्रदेश	5	5	0	5	5
महाराष्ट्र	2	2	0	3	3
ओडिशा	4	6	3	1	1
तमिलनाडु	1	1	0	0	0
तेलंगाना	7	7	0	64	64
उत्तर प्रदेश	1	1	0	6	10

पश्चिम बंगाल	4	4	3	4	4
कुल	**37**	**40**	**6**	**109**	**116**

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के अंतर्गत आबंटित निधियां;

वर्ष	**आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)**
2023-24	20.00

(ग) : सभी कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा अधिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को डीजीएमएस द्वारा उपयुक्त विधानों, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों, निरीक्षणों, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों, जोखिम प्रबंधन योजनाओं को तैयार करके प्रशासित किया जाता है।

खान अधिनियम 1952, खान नियम 1955, कोयला खान विनियम 2017 और इसके तहत जारी उप कानून और स्थायी आदेशों के कानूनी प्रावधानों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खानों में ऐसी दुर्घटना कम हों:-

1. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन
2. प्रधान जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपीएस) का निरूपण और कार्यान्वयन
3. मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर आधारित साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन तैयार करना और अनुपालन करना
4. बहु-विषयक सुरक्षा लेखा परीक्षा दलों के माध्यम से खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करना।
5. स्तर प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तंत्र को अपनाना
6. खान पर्यावरण की निगरानी
7. ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय, जैसे:

- ब्लास्ट फ्री सुरक्षित खनन के लिए पर्यावरण के अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
- खान-विशिष्ट परिवहन नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- निकटता चेतावनी उपकरणों, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विजुअल अलार्म (एवीए), स्वचालित फायर डिटेक्शन और दमन प्रणाली आदि के साथ फिट किए गए डंपर।
- ऑपरेटरों के आराम के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें और एसी केबिन।

- जीपीएस आधारित ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और ओसी खान के अंदर एचईएमएम के संचलन पर नजर रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जियो-फेंसिंग।
- रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई-मास्ट टावरों का उपयोग करके रोशनी की व्यवस्था।

8. भूमिगत कोयला खदानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय, जैसे:
- एलएचडी और एसडीएल के साथ अर्ध यंत्रीकरण शुरू करके बास्केट लोडिंग को हटाना।
- न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक छत बोल्टिंग सिस्टम द्वारा बोल्टिंग के साथ प्रभावी छत नियंत्रण प्रणाली के लिए रेजिन कैप्सूल से सीमेंट कैप्सूल को बदल दिया है
- जहां कहीं भी भूविज्ञान अनुमति देता है, सतत खान प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं (ईआर और ईपी) सीएमआर 2017 के विनियमन 252 के अनुसार तैयार की गई हैं
- भूमिगत खदान पर्यावरण में सुधार के लिए एयर चिलिंग प्लांट।
- बचाव कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए तारारहित कैप लैंप खरीदे गए हैं।

9. खान सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण:
- क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न विषयों पर निरंतर आधार पर फ्रंटलाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
- सुरक्षा समितियों के सदस्यों और संविदा कार्मियों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक बनाना।
- खान अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एसआईएमटीएआरएस मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण

10. खान सुरक्षा निरीक्षण:
- पर्याप्त संख्या में सक्षम और सांविधिक पर्यवेक्षकों और खान अधिकारियों द्वारा सभी खनन कार्यों का चौबीसों घंटे पर्यवेक्षण।
- प्रत्येक खान में नियुक्त कामगार निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण।
- खान और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों द्वारा औचक बैक शिफ्ट खान निरीक्षण।
- आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित खान निरीक्षण
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक खान निरीक्षण।

*****